

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)
{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

व्यवहार वाद क्र. 111-ए/2017

संस्थापन दि. 28.08.2017

फाईलिंग नं. आर.सी.एस.ए/635/2017

1. श्रीमती ललिता पति स्व. देवेन्द्र पटले, उम्र 47 वर्ष,
 2. संजय पटले पिता स्व. देवेन्द्र पटले, उम्र 27 वर्ष,
 3. विजय पटले पिता स्व. देवचंद पटले, उम्र 24 वर्ष,
- तीनों निवासी ग्राम नवेगांव, तहसील व
जिला-बालाघाट(म0प्र0).....**आवेदकगण/वादीगण**

// विरुद्ध //

1. जीवन पिता मंगलू लोधी,**(मृत के वारसान)**
 - 1अ. खेलनबाई पति जीवन, उम्र 60 वर्ष, जाति लोधी,
निवासी ग्राम नैतरा, तहसील लांजी व जिला बालाघाट,
 - 1ब. श्रीमती कांतीबाई पति लालजी, उम्र 40 वर्ष, जाति लोधी,
निवासी ग्राम सिहोरा, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट,
 - 1स. श्रीमती उमेश्वरी पति रमेश, उम्र 42 वर्ष, जाति लोधी,
निवासी ग्राम गोंगलई, तहसील व जिला बालाघाट,
 - 1ड. श्रीमती विन्देश्वरी पति बारिक, उम्र 45 वर्ष, जाति लोधी,
निवासी ग्राम बगदरा, तहसील व जिला बालाघाट,
2. परधुम पिता मंगलू, उम्र 48 वर्ष, जाति लोधी,
3. चतुरभुज पिता मंगलू, उम्र 45 वर्ष, जाति लोधी,
4. मुरली पिता गरीब, उम्र 35 वर्ष, जाति लोधी,
5. मुलायमचंद पिता गरीब, उम्र 30 वर्ष, जाति लोधी,
कं. 2 से 5 निवासी ग्राम नैतरा, तहसील व
जिला बालाघाट(म.प्र.)
6. अशोक पिता धेड़िया, उम्र 50 वर्ष, जाति लोधी,
7. सुनीता पति भूपेन्द्र, उम्र 52 वर्ष, जाति लोधी,
8. अंकित पिता भूपेन्द्र, उम्र 14 वर्ष, जाति लोधी,
ना.बा.वली मां श्रीमती सुनीता पति भूपेन्द्र,
9. अनीस पिता भूपेन्द्र, उम्र 13 वर्ष, जाति लोधी,
ना.बा.वली मां श्रीमती सुनीता पति भूपेन्द्र,
कं. 6 से 9 निवासी ग्राम- नैतरा, तह. व जिला बालाघाट,
10. श्रीमती सरला पति शिवलाल,**(मृत के वारसान)**
 - 10अ. तिलकराम पिता तुलाराम, उम्र 52 वर्ष, जाति लोधी,
 - 10ब. अनिल मसकरे पिता तुलाराम मसकरे, जाति लोधी,
दोनों निवासी ग्राम कोसमी, तह. व जिला बालाघाट,
11. श्रीमती सुकमा पति महेश, उम्र 38 वर्ष,
निवासी ग्राम गायखुरी, तह. व जिला बालाघाट,
12. श्रीमती सायत्रीबाई पति ईसूलाल, उम्र 42 वर्ष,
निवासी ग्राम अमेडा तह. व जिला बालाघाट,

13. श्रीमती वारला पिता धेड़िया, उम्र 45 वर्ष,
निवासी ग्राम नैतरा, तहसील व जिला बालाघाट,
14. जहरू पिता गुंडू, उम्र 50 वर्ष, जाति लोधी,
15. रोशन पिता गुंडू, उम्र 48 वर्ष, जाति लोधी,
क्रं. 14 व 15 निवासी ग्राम नैतरा, तह. व जिला बालाघाट,
16. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, बालाघाट,
जिला बालाघाट.....अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

1. आवेदक/वादी द्वारा श्री अनिल गुमास्ता अधिवक्ता।
2. अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 1 मृत। उसके वारसान एवं प्रति क्रं. 2,3,4,5,14,15 पूर्व से एकपक्षीय।
3. अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 10मृत। उसके वारसान एवं प्रति क्रं. 6,7,8,9,11,12,13 द्वारा श्री एम.एल.फुलोके अधिवक्ता।

// आदेश //

{ आज दिनांक 12.02.2018 को पारित }

1. इस आदेश द्वारा आवेदक/वादी की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-1 संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व में शोभाराम, सेवकराम वगैरह की भूमि, पश्चिम में-पोहा मिल एवं वादीगण की पैतृक भूमि, उत्तर में शैलेन्द्र पिता ज्ञानीराम तथा दक्षिण में ईशुलाल पटले की जमीन स्थित है। यह भूमि क्रय करने के उपरांत उक्त भूमि पर स्व. देवेन्द्र पटले निरंतर बेरोकटोक अपने जीवन पर्यंत मालिक काबिज चले आए और उनका नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ, इसके अलावा स्व. देवेन्द्र पटले ने मुस.केसरबाई जौजे टिल्लू, जाति लोधी एवं मुस. सेजीबाई जौजे टिल्लू, जाति लोधी, निवासी ग्राम नैतरा तहसील व जिला बालाघाट से ग्राम नैतरा प.ह.नं. 19 में स्थित भूमि ख.नं.1/2 रकबा 0.50 डिस. भूमि भी पंजीकृत विक्रय-विलेख के माध्यम से दिनांक 15.02.1984 को क्रय कर कब्जा व मालिकी हासिल की थी तथा उक्त भूमि पर स्व. देवेन्द्र पटले का नाम विधिवत दर्ज हुआ और उक्त भूमि पर भी स्व. देवेन्द्र पटले अपनी मृत्यु दिनांक तक मालिक-काबिज चले आए, स्व. देवेन्द्र पटले की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस वादीगण का नाम बतौर वारसान हक में दर्ज हुआ और आज दिनांक तक दर्ज चला आ रहा है।

आवेदक क्रं. 1 ग्रामीण क्षेत्र की अनपढ़ व अशिक्षित महिला है तथा स्व. देवेन्द्र पटले की मृत्यु के समय वादी क्रं. 2 व 3 भी बाल्यावस्था में थे, जिसके कारण स्व. देवेन्द्र पटले के वारसान हक में वादीगण का नाम दर्ज होने के उपरांत भी आवेदकगण उक्त भूमि की ऋण-पुस्तिका नहीं बनवा पाए, उस समय स्व. देवेन्द्र पटले के पिता स्व. सालिकराम जीवित थे तथा स्व. सालिकराम ही मुख्य रूप से परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे और स्व. देवेन्द्र पटले की कृषि भूमि पर वरिष्ठ सदस्य होने के नाते देखभाल करते थे और काशत करते थे। स्व. सालिकराम पटले सन् 2012 में फौत हुए, उसके उपरांत से आवेदकगण स्व. देवेन्द्र पटले द्वारा कय की हुई भूमि को काशत करते चले आ रहे हैं।

3. आवेदकगण/वादीगण ने आगे यह अभिवचन किया है कि आवेदकगण द्वारा भूमि काशत करने के दौरान भूमि से संबंधित राजस्व प्रलेखों की खोजबीन की, परंतु उन्हें स्व. देवेन्द्र पटले द्वारा कय की गई भूमि ग्राम नैतरा, की ख.नं.1, 8/1, 9/1 कुल रकबा 1.31 डिस. भूमि की ऋण-पुस्तिका प्राप्त नहीं हुई, इसी भूमि के संबंध में मुख्य रूप से विवाद है। आवेदकगणों द्वारा ग्राम नैतरा की ख.नं.1, 8/1, 9/1 कुल रकबा 1.31 एकड़ भूमि की ऋण-पुस्तिका बनाने के उद्देश्य से न्यायालय तहसीलदार बालाघाट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण उपस्थित हुए तथा प्रकरण चलने के दौरान अनावेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की धमकियां भी दी जाने लगी, जिसके संबंध में आवेदकगणों की ओर से पुलिस थाना ग्रामीण, नवेगांव में लिखित शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी अनावेदकगण ने उपस्थित होकर दिनांक 21.12.2016 को अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र को ही संदेहास्पद बताते हुए स्वयं का कब्जा होने का उल्लेख किया, जबकि अनावेदकगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। अनावेदकगण के पूर्वज स्व. मंगलू, स्व. धेड़िया व अन्य विक्रेतागण द्वारा पूर्ण प्रतिफलराशि प्राप्त कर भूमि का पंजीयन विक्रय पत्र आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है और इस प्रकार आवेदकगण अपनी खरीदी दिनांक से वादग्रस्त भूमि पर निरंतर मालिक-काबिज चले आ रहे हैं। पिछले वर्ष आवेदकगण द्वारा अपने कब्जे व मालिकी की भूमि पर जुताई कर खार '1010' एवं 'आरपीएम' भरी गई थी, खार आने पर दिनांक 23.07.

2016 को परहा लगाने का कार्य प्रारंभ था, तब अनावेदकगण ने अपने अन्य साथियों के साथ खेत में आकर आवेदकगणों को कब्जा करने की धमकी दिए थे। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथमदृष्टया आवेदकगणों के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगणों के पक्ष में है और यदि अनावेदकगणों द्वारा अपनी धमकी को अमल में लाते हुए आवेदकगण की लगाई हुई फसल को जबरन काट लेते हैं या धमकी को अमल में लाते हुए आवेदकगण के खेत पर जबरन कब्जा कर लेते हैं तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ेगा, जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पाएगी। उपरोक्त परिस्थिति में अनावेदकगण को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाना न्यायहित में उचित होगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे।

4. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादीगणों के पूर्वज मंगलू, धेड़या, गुन्टू की शमिलात खाते में प.ह.नं. 19, ग्राम नैतरा में जो वादीगणों द्वारा वादग्रस्त भूमि का विवरण पेश किया गया है उसके अनुसार स्थित थी, यह भूमि शमिलाती खाते में दर्ज थी, जिसमें से ख.नं. 1, रकबा 1.56 एकड़ में से 1 डिसमिल तथा खसरा नं. 8/1 रकबा 1.14 एकड़ में से 74 डिसमिल एवं खसरा नं. 9/1, रकबा 1.70 एकड़ में से 56 डिसमिल यह भूमि कुल 1.31 एकड़ वादीगणों द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिनांक 09.04. 1980 को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा खरीदा गया था और तब से उनके पूर्वज एवं उनके मरने के पश्चात् उनका कब्जा चला आ रहा है, चूंकि उक्त भूमि को प्रतिवादीगणों के पूर्वज जो अशिक्षित थे तथा निशानी अंगूठा लगाते थे एवं यह भूमि वादीगणों की भूमि से लगी हुई भूमि है तथा वादीगणों के पूर्वज शिक्षित व चालाक चुस्त थे उनके द्वारा प्रतिवादीगणों का अशिक्षित होने का फायदा उठाकर उनके जमीन पर अनावश्यक रूप से कब्जा कर अवैधानिक तरीके से लिखा-पढ़ी करवा ली गई है तथा विवादित भूमि को अपनी भूमि कहकर वादीगण प्रतिवादीगणों से शेष बचत भूमि खसरा नंबर 1, रकबा 1.56 एकड़ जो प्रतिवादीगणों के पूर्वज धेड़या की है उस पर भी अनावश्यक रूप से उसकी है कहकर कब्जा करने की

कोशिश कर रहे हैं तथा उक्त भूमि को भी उनकी भूमि कहा जा रहा है।

5. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने आगे यह अभिवचन भी किया है कि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि प्रतिवादीगणों के पूर्वजों से दिनांक 09.04.1980 को यदि वादीगणों के पूर्वजों द्वारा खरीदी गई थी तो उनके द्वारा इस भूमि पर नामांतरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा उसकी ऋण पुस्तिका क्यों नहीं बनाई गई और उनके मरने के पश्चात् यह कहना कि उनके द्वारा खोजबीन कर पाया कि उक्त भूमि की उनके पूर्वजों ने रजिस्ट्री कर लिया था, यह कहना संदेह को जन्म देता है। वादीगणों द्वारा इस आशय का एक आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार बालाघाट के न्यायालय में ऋणपुस्तिका बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 04.08.17 को माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कहा गया है कि प्रकरण में पूर्व में नामांतरण हो चुका है इस हेतु आवेदकगणों का आवेदन खारिज कर दिया गया। चूंकि प्रतिवादीगणों के पूर्वज धेड़या जिसके हिस्से में खसरा नं. 1, रकबा 1.56 एकड़ भूमि आई थी उनके मरणोपरांत वह भूमि उनके वारसानों को प्राप्त हुई जिसमें पानी का पैसा प्रतिवादीगणों द्वारा सन् 2003, 2004 से आज दिनांक तक अदा किया जा रहा है एवं प्रतिवादीगणों द्वारा अपने पूर्वज धेड़या की बचत भूमि जो खसरा नं. 1 में दर्शित है उनको वारिस बतौर प्राप्त हुई है जिसमें राजस्व प्रलेख में प्रतिवादीगणों का नामांतरण हो चुका है तथा ऋण पुस्तिका बन चुकी है। प्रतिवादीगण शेष बचत भूमि जो उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है इस भूमि पर इनका वर्तमान में राजस्व प्रलेखों में नाम दर्ज है व ऋण पुस्तिका बनी हुई है तथा इनके द्वारा इस भूमि के पानी का सिंचाई का पैसा सिंचाई विभाग को दिया जा रहा है इस तरह से प्रतिवादीगण ख.नं.1 एवं 1/1, रकबा 1.56 एकड़ के मालिक हैं। अतः वादीगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

6. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
- 3— क्या वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2, 3 के संबंध में:-

7. सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक/वादी ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा अनावेदकगण से 09.04.1980 को वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1, रकबा 1.56 में से 0.01 रकबा, खसरा नं. 8/1 रकबा 1.14 में से 0.74 डिसमिल खसरा नं. 9/1 रकबा 1.70 में से 0.56 डिसमिल भूमि कुल 1.31 क्य की थी और तभी से वह उक्त भूमि पर मालिक काबिज होकर चले आ रहे हैं। आवेदकगण/वादी कं. 1 के पति एवं 2 व 3 के पिता देवेन्द्र पटले की मृत्यु 01.07.1995 को हुई थी, इस कारण से वह उक्त भूमि की ऋण पुस्तिका नहीं बनवा पाये, देवेन्द्र पटले के पिता स्व. सालिकराम जब जीवित थे, तब वह उक्त भूमि की देखभाल करते थे और कास्त करते थे, सालिकराम पटले सन् 2012 में फौत हो गये, उसकी उपरोक्त भूमि पर आवेदकगण कास्त करते आ रहे हैं, उनके द्वारा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख की खोजबीन की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि देवेन्द्र पटले द्वारा क्य की भूमि की ऋण पुस्तिका उन्हें प्राप्त नहीं हुई तो उनके द्वारा न्यायालय तहसीलदार बालाघाट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर उसमें अनावेदकगण उपस्थित हुए और उनके द्वारा धमकियां दी जाने लगी और अनावेदकगण उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत हैं और यदि उनके द्वारा जबरन कब्जा कर लिया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय ज्ञात होगी, इसलिए वाद के अंतिम निराकरण तक प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से कब्जा किये जाने से रोका जावे। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि अपने पिता मंगलू, हेड़या, गुंटू की शामिलाली होना दर्शाया है और बंटवारा होने का कथन किया है, तभी से उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने का भी अभिवचन किया है तथा आवेदकगण के द्वारा फर्जी रूप से विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना बताया है।

8. आवेदकगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वामित्व व आधिपत्य होना तथा अनावेदकगण ने अपना स्वामित्व व आधिपत्य होने का कथन किया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवेदकगण की ओर से विक्रय पत्र वर्ष 1984 की फोटोकापी प्रस्तुत की गई है जिसमें कि उक्त भूमि देवेन्द्र कुमार के द्वारा क्य किये जाने का उल्लेख है, एवं इसके पश्चात् के वर्ष 2003-04 का खसरा प्रस्तुत किया

गया है जिसमें उक्त वादग्रस्त भूमि देवेन्द्र कुमार के नाम दर्ज है

9. चूंकि अनावेदकगण की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें वर्ष 2015-16 के खसरा में अनावेदकगण अशोक कुमार पिता धेड़या का नाम शामिलाली रूप से दर्ज है और दिनांक 04.08.2012 का तहसीलदार बालाघाट के आदेश में भी वादग्रस्त भूमि अनावेदकगण के नाम दर्ज होने का उल्लेख है। अनावेदकगण की ओर से वर्ष 2003 व 2004 के जलकर की रसीद प्रस्तुत की गई है, जिसमें खसरा नं. 1 की भूमि का जलकर उनके द्वारा अदा किया गया है व भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की है जिसमें अनावेदकगण का नाम दर्ज है।

10. आवेदकगण की ओर से वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसे की अनावेदकगण के द्वारा फर्जी बताया गया है, उक्त दस्तावेज फर्जी है या नहीं, इस प्रश्न का निराकरण इस स्टेज पर नहीं किया जा सकता है, इसका निराकरण साक्ष्य आने के उपरांत ही किया जाना संभव है। वर्ष 2003 तक वादग्रस्त भूमि आवेदक के पिता/पति के नाम पर दर्ज रही है, प्रतिवादीगण की ओर से वर्ष 2012 में मौखिक बंटवारा होना बताते हुए ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव की फोटोकापी प्रस्तुत की है। अनावेदकगण ने उक्त भूमि बटवारे में स्वयं को प्राप्त होना बताया है। उक्त बंटवारा पत्रक में खसरा नं. 1/1 की कुल भूमि 1.05 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण को प्राप्त होने का उल्लेख है। आवेदकगण/वादीगण के पति/पिता के द्वारा भूमि क्रय किये जाते समय उक्त भूमि का कुल रकबा 1.56 हेक्टेयर था। अतः देवेन्द्र कुमार के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय माध्यम से उसके पूर्व स्वामी से भूमि क्रय की गई और राजस्व दस्तावेज के अनुसार पूर्व में उसका नाम दर्ज रहा है, अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में दर्शित होता है, यदि प्रतिवादीगण के द्वारा हस्तक्षेप कारित किया जाता है कि तो निश्चित रूप से वादीगण को असुविधा और क्षति होने की संभावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में दिखाई देता है, प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी वादीगण के पक्ष पाया जाता है।

11. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में होने से आवेदकगण/वादीगण का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व

2 सी.पी.सी. आई.ए.नंबर-1 विधिसंगत होने से स्वीकार किया जाता है।

12. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही /—
(अपर्णा आर.शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(अपर्णा आर. शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)